DOIT.C
Department of Information Technology
& Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांकः F2(114)/DOIT&C/2025/ जयपुर, दिनांकः

कार्यालय आदेश

स्व. श्री अक्षय पाटनी, (प्रोग्रामर), कार्यालय वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर (राज) का राज्य सेवा में रहते हुऐ **दिनांक 10.05.2025** को निधन हो गया था। इनकी धर्मपत्नी **श्रीमती अर्पणा जैन** (GEN) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उक्त पत्र/आवेदन पत्र कार्यालय सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर (राज) विभाग के पत्र क्रमांकः-प .06(03)कार्मिक/ क-4/2/2022/16046377, दिनांक 23.06.2025 से इस विभाग को दिनांक 24.06.2025 को इस विभाग में प्राप्त हुआ। अतः श्रीमती अर्पणा जैन को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **आयुक्तालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर, (राज.)** में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यभार सम्भालनें की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed remuneration to probationer trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती अर्पणा जैन को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत Schedule IV (Rule No.16) **नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रूपये 14600/- प्रति माह की दर से देय होगें।** इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-5 (First cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी-1) 5200-20200 (ग्रेड पे न. 9) ग्रेड पे. 2400) का न्यूनतम वेतनमान **20800/-** रूपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होगें।

श्रीमती अर्पणा जैन द्वारा प्रस्तुत **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान** की अंकतालिका के क्रमांक सं.-**0350325** के अनुसार इनकी **जन्म तिथि 28.01.1993 (अट्ठाईस जनवरी उन्नीस सौ तिरानवे)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होनें की शर्त पर दी जा रही है, इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालने की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होगें।
3. श्रीमती अर्पणा जैन द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगीं।
5. परिवीक्षाकाल में अवकाश या अन्य सुविधाएं आदि राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 मे नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो, उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।

RajKaj Ref No.: 16790513
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.07.26 12:24:17 IST
Reason: Approved

8. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न **"प्रपत्र-ए"** में शपथ पत्र राशि रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल ईस्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।
9. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. श्रीमती अर्पणा जैन को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होगें।
13. चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
14. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होगें।
15. श्रीमती अर्पणा जैन को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, (कार्मिक क-4/2), शासन सचिवालय जयपुर को आपके पत्र कमांक प. 06(03)कार्मिक/क-4/2/2022 दिनांक 23.06.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4 कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6 प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9 आहरण एवं वितरण अधिकारी,/(भुगतान शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
10 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (उपस्थिति पंजिका), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय,जयपुर।
11 **श्रीमती अर्पणा जैन पत्नी स्व. श्री अक्षय पाटनी (प्रोग्रामर), निवासीः 458, नाटाणियों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, लोहा मंडी, जयपुर, 302003 (राज) । (रजिस्टर्ड,ए.डी.), मो. 8239643185, ई-मेलः** aparna.jain28@gmail.com को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ **आयुक्तालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर, (राज.)** में उपस्थित प्रस्तुत करे।
12 निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.07.26 12:24:17 IST
Reason: Approved